प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रक्र0 निग0 2009-तीन /14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-10-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग सागर प्रकरण क्रम के अपील/6/07-08.

1- ग्यादीन पु0 छप्पन कुर्मी
2- मक्काबाई पत्नी श्री जगराज पटेल
निवासी चौकाकोडन तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदकगण

विरूद्ध

1- मक्का उर्फ मानक पुत्र छप्पन कुर्मी
निवासी ग्राम चौकाकोडन तहसील
राजनगर जिला छतरपुर अन्य-4 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2009/ तीन/2014 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2814 12/8/14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 795/अ–6/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–10–2008 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 14–7–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। उन्होंने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि अपर आयुक्त सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजनगर एंव नायव तहसीलदार बसारी के न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं इसलिये उन्हें अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–10–08 की जानकारी यथासमय नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी उन्हें खसरा की दिनांक 11–6–14 को पटवारी से नकल प्राप्त होने पर हुई है इसलिये विलम्ब सदभाविक होने से क्षमा किया जाय। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण के अभिभाषक स्वीकार कर रहे हैं कि वह अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं रहे हैं। विचार योग्य बिन्दु है कि जो पक्षकार नीचे के न्यायालय में पक्षकार नहीं है उसे निगरानी करने की पात्रता है ? भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 44 (2) एंव 40– अपील/निगरानी कौन कर सकता है – जो नीचे के मूल न्यायालय में मामले में पक्षकार था, अपील/निगरानी करने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को होता है जो उस आदेश से व्यथित हो, जो व्यक्ति निचले न्यायालय में पक्षकार नहीं था उसे वह आदेश प्रभावित नहीं	

करता, अतएव वह उसके कारण व्यथित नहीं माना जा सकता और उसके विरूद्व वह अपील/निगरानी नहीं कर सकता।''

अब्दुल रहीम विरूद्व म्युनिसिपल कमेटी रायपुर 1965 J.L.J. 1112 S.C. एंव फूल सिंह विरूद्व कलेक्टर विदिशा 1966 रा0नि0 309 HC से अनुसरित

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य